

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-238 / 2019-20



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

रुचु पहान

- विक्रेता

अनिता बरला

- क्रेता

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर   | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |           |                 |           |                 |       |    |    |     |       |    |     |       |    |     |      |  |  |             |  |
|------------------------------|--|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----|----|-----|-------|----|-----|-------|----|-----|------|--|--|-------------|--|
| 28.01.20                     | <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक रुचु पहान पिता स्व0 लुगडू पहान ग्राम-कर्ण रोड, नवाटोली, खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने अनिता बरला पति श्री सुमित बरला ग्राम-कर्ण रोड नवाटोली, खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">खूँटी</td> <td rowspan="4">83</td> <td>06</td> <td>182</td> <td>0.06½</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>179</td> <td>0.02½</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>180</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>0.19</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0523130965 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1132 दिनांक 12.12.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम अर्जुन पाहन वगैरह है। पंजी II के अनुसार बुधुवा पाहन वगैरह के नाम भूमि का रकबा 13.63 एकड़ है। आवेदक कुल रकबा 2.81 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 163883.00(एक लाख तिरीसठ हजार आठ सौ तिरासी)रु0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.62 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण रुचु पहान पिता स्व0 लुगडू पहान को अनिता बरला पति श्री सुमित बरला के साथ ग्राम खूँटी के खाता सं0 6,80,80 खेसरा संख्या 182,179,180 का कुल रकबा 0.19 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 163883.00(एक लाख तिरीसठ हजार आठ सौ तिरासी)रु0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"><br/>28/01/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता,<br/>खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"><br/>28/01/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता,<br/>खूँटी।</p> | ग्राम  | थाना नं0  | खाता नं0        | खेसरा सं0 | रकबा (एकड़ में) | खूँटी | 83 | 06 | 182 | 0.06½ | 80 | 179 | 0.02½ | 80 | 180 | 0.10 |  |  | <b>0.19</b> |  |
| ग्राम                        | थाना नं0   | खाता नं0   | खेसरा सं0 | रकबा (एकड़ में) |           |                 |       |    |    |     |       |    |     |       |    |     |      |  |  |             |  |
| खूँटी                        | 83   | 06   | 182       | 0.06½           |           |                 |       |    |    |     |       |    |     |       |    |     |      |  |  |             |  |
|                              |  | 80   | 179       | 0.02½           |           |                 |       |    |    |     |       |    |     |       |    |     |      |  |  |             |  |
|                              |  | 80   | 180       | 0.10            |           |                 |       |    |    |     |       |    |     |       |    |     |      |  |  |             |  |
|                              |  |  |           | <b>0.19</b>     |           |                 |       |    |    |     |       |    |     |       |    |     |      |  |  |             |  |